



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण III निगरानी/सीधी/भू.रा/2018/0838

श्री अनिल शर्मा
द्वारा आज दि. 01-2-18 को
प्रस्तुत प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 20-2-18 नियत।

अविनाश शुक्ला पुत्र इन्द्रकमल शुक्ला
निवासी ग्राम गजरही तहसील बहरी
जिला सीधी (म.प्र.)

अनिल शर्मा
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 01-2-18

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, सीधी

..... अनावेदक

अनिल शर्मा
01-2-2018 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा श्रंखला न्यायालय
सीधी जिला-सीधी (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 347/अपील/17-18 में
पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व
संहिता 1959 की धारा -50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

अनिल शर्मा
एडवोकेट

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/दो/सीधी/भूरा/2018/838

अविनाश बनाम शासन

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

04-06-
2018

आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित हुए। अनावेदन शासन की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष सारस्वत उपस्थित। उभय पक्ष के प्रकरण में अंतिम तर्क सुने गये। मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। आवेदक का मुख्य तर्क है कि उनके द्वारा भूमि व्यपवर्तन की अनुज्ञा का आवेदन दिनांक 4-1-17 को प्रस्तुत किया था जबकि ललितपुर सिंगरौली लाईन के अंतर्गत आवेदित भूमियों के धारा 11 के प्रकाशन का प्रस्ताव दिनांक 3-12-16 को आधार मानकर भूमि व्यपवर्तन का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गयी है उनके द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि भूमियों के अधिग्रहण किया जाने के संबंध में मात्र प्रस्ताव ही जारी हुआ था जिसकी सूचना आवेदक को नहीं थी अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे। अनावेदक शासन के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि वर्तमान समय में ललितपुर सिंगरौली न्यू रेलवेलाईन में प्रभावित भूमि का उपयोग होने की अधिसूचना के प्रकाशन का प्रस्ताव दिनांक 3-12-16 को प्राप्त हो चुका था रेलवे लाईन निर्माण का कार्य लोकहित में होने से अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भूमि व्यपवर्तन का आदेश दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं होने से निगरानी निरस्ती योग्य है। उक्त प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में मैं पाता हूँ कि रेलवेलाईन के अधिसूचना के प्रकाशन का प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत भूमि व्यपवर्तन का आदेश दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। नोटिफिकेशन के प्रकाशन में भूमि जिस स्वरूप की दर्ज है उसे उसी स्वरूप में लिया जा सकता है, उसके उपरांत भूमि के स्वरूप को व्यपवर्तित किया जाना निरर्थक है, अतः प्रस्तुत निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है। उभय पक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस किये जावें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हों।

सदस्य
4/6/18